मै0 मलिक पोल्ट्री फार्म (द्वारा श्री चन्द्रभान सिंह मलिक), ग्राम म्यान कस्बा (मन्नूगढ़), तहसील ऊन, जिला शामली की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक मै0 मलिक पोल्ट्री फार्म (द्वारा श्री चन्द्रभान सिंह मलिक), ग्राम म्यान कस्बा (मन्नूगढ़), तहसील ऊन, जिला शामली के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 501/2019 सुन्दर बनाम Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors. में पारित आदेशं दिनांक 11.09.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

"3. We are of the view that even if consent to operate is not required, action can be and must be taken when pollution is caused or siting criteria is violated. State PCB may stop polluting activities and recover compensation on 'polluter pays' principle. Let such steps be taken accordingly and further report filed within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in."

मा0 एन0जी0टी0 आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 26.07.2019 में किया गया था। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोल्ट्री फार्म हेतु जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में इकाई को दुर्गंध नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं वेस्ट वाटर डिस्चार्ज व गुड हाउसकीपिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र 31.07.2019 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसकी अनुपालन आख्या इस कार्यालय को दिनांक 03.10.2019 में प्राप्त हुई। अनुपालन आख्या में दिये गये तथ्यों का भौतिक सत्यापन किये जाने हेतु इकाई का नवीनतम निरीक्षण 19.10.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री चन्द्रभान सिंह मलिक, प्रोपराइटर उपस्थित रहे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1– उक्त पोल्ट्री फार्म ग्राम म्यान कस्बा (मन्नूगढ), तहसील ऊन, जिला शामली में स्थापित है।

2– उक्त पोल्ट्री फार्म की क्षमता क्षमता 50000 पक्षियों की है। वर्तमान में 30000 पक्षियों की लेयर फार्म यूनिट स्थापित एवं संचालित है। इसके अतिरिक्त 02 यूनिट कॉमर्शियल लेयर 10,000 पक्षी प्रत्येक क्षमता की यूनिट स्थापित है। संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त यूनिट शीघ्र संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त पोल्ट्री फार्म के चारों ओर लगभग 8 फीट ऊंची बाउण्ड्री वॉल स्थापित है।

3– उक्त पोल्ट्री फार्म में केज के नीचे ठोस अपशिष्ट के रूप में जनित बीट का एकत्रण किया जाता है, जो कि चारों तरफ लोहे की जाली से कवर्ड किया गया है। निरीक्षण के समय ठोस अपशिष्ट बीट केज के नीचे भण्डारित नहीं पाया गया (फोटोग्राफ संलग्न)।

4– निरीक्षण में पाया गया कि इकाई परिसर में बाउण्ड्री वॉल के दो साइडों में वृक्षारोपण करा लिया गया है। निरीक्षण के समय उपस्थित इकाई प्रतिनिधि को बाउण्ड्री वॉल के चारों ओर सघन वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि सुगन्धित प्रजाति के वृक्षों को अधिकाधिक संख्या रोपित किया जाये।

5– निरीक्षण के समय बर्ड्स से जनित बीट्स के निस्तारण की लॉग बुक प्रस्तुत की गयी।

6– निरीक्षण के समय इकाई परिसर में मक्खियों आदि की रोकथाम हेतु कीटनाशक व चूने का छिड़काव किया जाता पाया गया।

7– वर्तमान निरीक्षण के समय इकाई परिसर व आसपास मक्खी–मच्छर की बहुतायत अथवा दुर्गंध की समस्या व्याप्त नहीं पायी गयी तथा हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।

8– निरीक्षण के समय उद्योग परिसर में water stagnation की समस्या नहीं पायी गयी।

9– उक्त इकाई से किसी प्रकार की समस्या न होने के सम्बन्ध में ग्राम म्यान कस्बा मन्नूगढ़ के ग्रामीणों द्वारा दिये गये शपथ पत्र मूल रूप में इकाई प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के समय उपलब्ध कराये गये, जो मूल रूप में संलग्न हैं।

क्रमशः ....2...

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इकाई को प्रेषित पत्र दिनांक 31.07.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सुधार किया गया है।

अतः उक्त को दृष्टिगत् रखते हुए इकाई के विरूद्ध पूर्व निरीक्षण दिनांक 26.07.2019 से इकाई द्वारा दी गई अनुपालन आख्या की दिनांक 03.10.2019 तक की अवधि कुल 70 दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। गणना निम्नवत् है :–

PI = Pollution Index of Industrial Sector – पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। सन्दर्भित इकाई हरी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 30 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place – केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोल्ट्री फार्म हेतु जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में इकाई को दुर्गंध नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं वेस्ट वाटर डिस्चार्ज व गुड हाउसकीपिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र 31.07.2019 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसकी अनुपालन आख्या इस कार्यालय को दिनांक 03.10.2019 में प्राप्त हुई। अतः इकाई के विरूद्ध निरीक्षण दिनांक 26.07.2019 से इकाई द्वारा दी गई अनुपालन आख्या की दिनांक 03.10.2019 तक की अवधि कुल 70 दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा। अतः N का मान 70 होगा।

R = R is a factor in Rupees for Penalty – केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदानुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = इकाई लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान **0.5** लिया जाना उचित होगा।

LF = Location factor = इकाई से निकटतम शहरों की जनसंख्या 10 लाख के अन्दर आती है। अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।

उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :–

EC = PIxNxRxSxLF
= 30 x 70 x 250 x 0.5 x 1
= 2,62,500/-

अतः गणना के अनुसार रू0 2,62,500/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

आख्या सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता

(डा0 डी0सी0 पाण्डेय)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 08AE 114864

शपथ-पत्र

समक्ष,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मु0 नगर

शपथ-पत्र मिन्जानिब :- मनीष

1. यह है कि मैं शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि मैं मनीष पुत्र रामपाल निवासी ग्राम म्यान कस्बा [मन्नूगढ] तहसील ऊन, जिला शामली का निवासी हूँ|
2. यह है कि मै शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि हमारे ग्राम के बाहर श्री चन्द्रभान सिंह का उनके खेत मे बना पोल्ट्री फार्म काफी समय से चल रहा है||
3. यह है कि मैं शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि हम इस फार्म के सबसे नजदीक स्थान पर रहते है|
4. यह है कि मै शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि श्री चन्द्रभान सिंह के इस पोल्ट्री फार्म मे पूरी साफ सफाई रहती है और फार्म से कोई प्रदूषण नही है तथा हमे कभी किसी प्रकार की कोई समस्या इस फार्म से नही हुई है|
5. मै शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि मुझे इस पोल्ट्री फार्म से कोई शिकायत नही है|

NOTARY

दिनांक : 18/10/2019

शपथकर्ता मनीष

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 08AE 114891

शपथ-पत्र

समक्ष,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मु0 नगर

शपथ-पत्र मिन्जानिब :- शिव कुमार सैनी

1. यह है कि मैं शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि मैं शिव कुमार सैनी पुत्र श्री दिलावर निवासी ग्राम स्यान कस्बा [मन्नूगढ] तहसील ऊन, जिला शामली का निवासी हूँ|
2. यह है कि मै शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि हमारे ग्राम के बाहर श्री चन्द्रभान सिंह का उनके खेत मे बना पोल्ट्री फार्म काफी समय से चल रहा है||
3. यह है कि मै शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि हम इस फार्म के सबसे नजदीक स्थान पर रहते है|
4. यह है कि मै शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि श्री चन्द्रभान सिंह के इस पोल्ट्री फार्म मे पूरी साफ सफाई रहती है और फार्म से कोई प्रदूषण नही है तथा हमे कभी किसी प्रकार की कोई समस्या इस फार्म से नही हुई है|
5. मै शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि मुझे इस पोल्ट्री फार्म से कोई शिकायत नही है|

NOTARY JAIPAL SINGH NOTARY ADVOCATE Kairana (SHAMLI) R.No. 6779/08 GOVT. OF INDIA

शिवकुमार

दिनांक : 18/10/2019

शपथकर्ता

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AE 114892

शपथ-पत्र

समक्ष,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मु0 नगर

शपथ-पत्र मिन्जानिब :- मोनू

1. यह है कि मैं शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि मैं मोनू पुत्र श्री सहेंद्र निवासी ग्राम म्यान कस्बा [मल्लूगढ़] तहसील ऊन, जिला शामली का निवासी हूँ।
2. यह है कि मै शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि हमारे ग्राम के बाहर श्री चन्द्रभान सिंह का उनके खेत मे बना पोल्ट्री फार्म काफी समय से चल रहा है।।
3. यह है कि मैं शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि हम इस फार्म के सबसे नजदीक स्थान पर रहते है।
4. यह है कि मै शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि श्री चन्द्रभान सिंह के इस पोल्ट्री फार्म मे पूरी साफ सफाई रहती है और फार्म से कोई प्रदूषण नही है तथा हमे कभी किसी प्रकार की कोई समस्या इस फार्म से नही हुई है।
5. मै शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि मुझे इस पोल्ट्री फार्म से कोई शिकायत नही है।

मोनू

दिनांक : 18/10/2019

शपथकर्ता

NOTARY

JAIPAL SINGH NOTARY ADVOCATE Kairana SHAMLI GOVT. OF INDIA

सेवा में   दिनांक 19-10-19

R.O.
C.P.C.B   / मा० NGT
M. Nagar   ~~नई दिल्ली~~
U.P.

महोदय

निवेदन है कि हमारे ग्राम के बाहर अपने खेत में श्री चन्द्रभान सिंह द्वारा सरकार की योजना अन्तर्गत मुर्गीफार्म संचालित है फार्म के चारो ओर खेत हैं। इस फार्म से हमें कोई परेशानी नहीं है। गाँव के कुछ लोग इनसे रंजिशवश फार्म की शिकायत करते रहते हैं जो गलत है। इस फार्म से ग्राम वाले लड़को को रोजगार और सस्ता खाना मिलता है जिससे ग्रामवासी इनके समर्थन में हैं। इस फार्म से रेजीडेन्शल जोन पंचायतघर, बाजार, अड्डा, बैंक आदि 500 मी० से अधिक दूरी पर है। इस फार्म से प्रदूषण न पहले कभी था न अब है। इस फार्म की स्थापना हमारी (प्रधान) लिखित सहमति के बाद की गई है।

ग्रामप्रधान

आजाद सिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत - म्यान कस्बा
वि० ख० ऊन (शामली)

फोटोग्राफ-I.

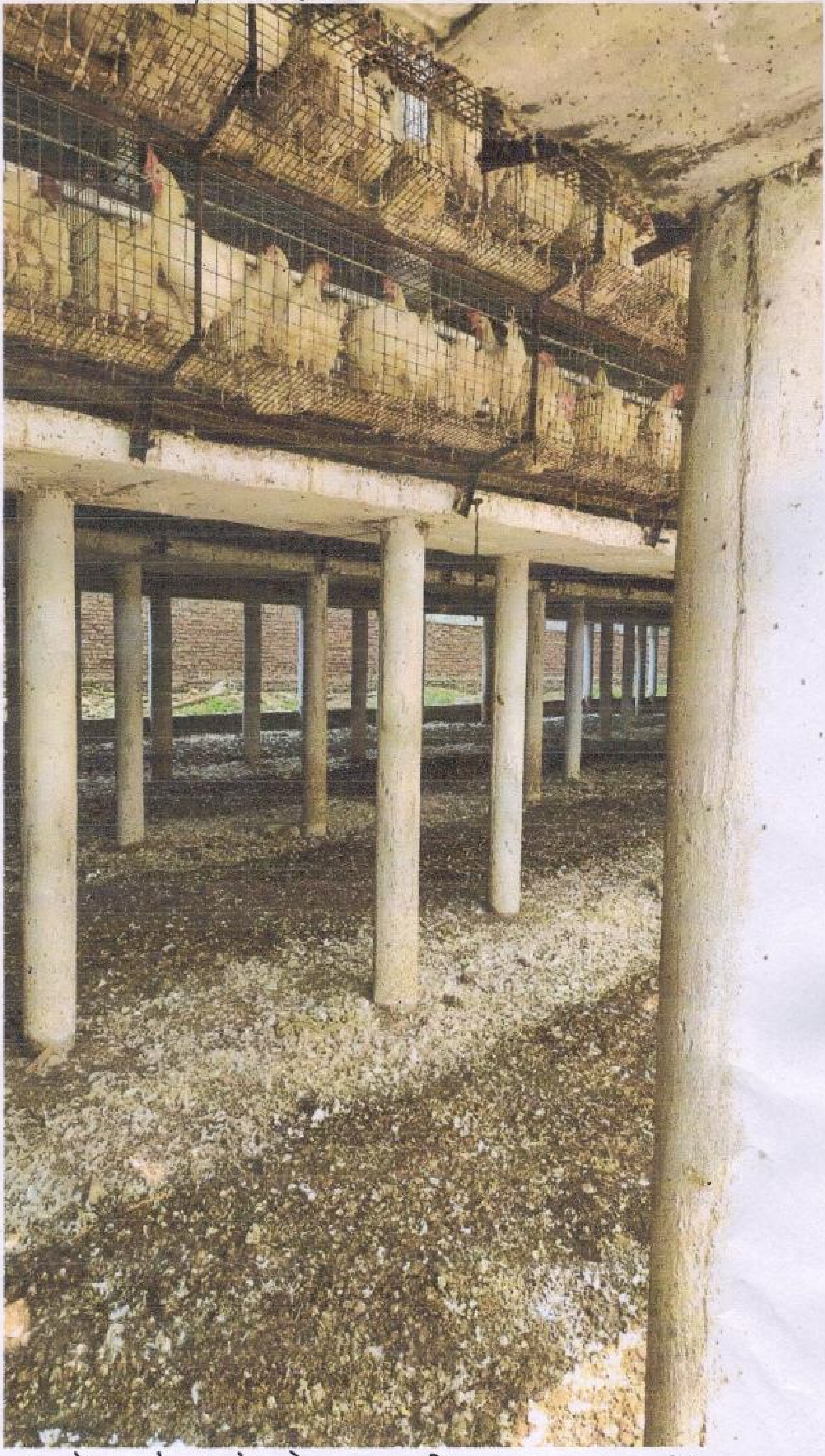

बीट केज के नीचे ठोस अपशिष्ट भण्डारण नहीं पाया गया |

दूरभाष एवं फैक्स : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर–251001

संदर्भ सं० Ref. No. 1346/OA-501/Sundar/Shamli/2019 दिनाँक Dated 11-12-19.

To,

The Registrar
National Green Tribunal
New Delhi
E-mail:-judicial-ngt@[redacted]gov.in

Sub :- <u>Compliance to the direction issued on 11.09.2019 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 501/2019 Sundr Vs. Ministry of Enivironment & Forest & Ors.</u>

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the action taken report to the direction on 11.09.2019 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A No. 501/2019 Sundr Vs. Ministry of Enivironment & Forest & Ors.

Encl.:As above

yours faithfully

(Vivek Roy)
Regional Officer

<u>Copy to:</u>

1- Shri Pradeep Mishra,Advocate; hon'ble supreme court/NGT New delhi for perusal and necessary action.
2- Chief Law Oficer , U.P.Polluction Control Board,Lucknow for Information.
3- Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P.Polluction Control Board,Lucknow for Information.

Regional Officer

F:Letters 2019.doc